प्रशिक्षण से सर्वांगीण विकास

NOT MERE TRAINING BUT A TRANSFORMATION

वन रक्षक
अनिवार्य प्रशिक्षण प्रतिवेदन

तब (9-5-2011)

अब (8-8-2011)

An out of Box Training Intervention
A Case Study

मुख्य वन संरक्षक
(प्रशिक्षण एवं अनुसंधान)
राजस्थान, जयपुर

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत वन रक्षक प्रशिक्षणार्थियों के साथ
चित्तौड़गढ़ में पौधारोपण करते हुए

माननीय वन, पर्यावरण एवं खनिज राज्य मंत्री श्री रामलाल जाट वन रक्षक प्रशिक्षणार्थियों के साथ
चित्तौड़गढ़ में पौधारोपण करते हुए

पी. के. मेरकप
आई.एफ.एस.

सत्यमेव जयते

मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान)
राजस्थान, जयपुर
वानिकी प्रशिक्षण संस्थान,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
टेली नं. 0141-2710034

प्राक्कथन

दीर्घकाल के बाद वन विभाग में इस वर्ष लगभग एक हजार वनरक्षकों की भर्ती हुई। इस भर्ती की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण व्यवस्था भी थी। विभाग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इन वनरक्षकों को प्रशिक्षित करने की थी। यद्यपि अधिकांश वनरक्षक उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि से थे तथापि शिक्षा व प्रशिक्षण में आधारभूत अन्तर होता है। लगभग एक हजार वनरक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण देने में विभाग के स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों को अपने सीमित संसाधनों से लगभग पाँच वर्ष का समय लग जाता अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान के स्तर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाने का निर्णय हुआ।

तदनुरूप प्रचलित प्रशिक्षण व्यवस्था से हटकर एक Out of box योजना बनाई गई व राज्य के तीन स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त 12 सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्र बनाए गए। इन केन्द्रों पर कुल 844 वनरक्षकों को एक साथ प्रशिक्षित किया गया। इस हेतु विभाग ने अपने संसाधनों को जुटाया और किराए के भवनों की व्यवस्था कर पूर्ण मित्तव्ययता व आर्थिक अनुशासन बरतते हुए प्रशिक्षण कार्य संचालित किया। बीकानेर के अतिरिक्त सभी केन्द्रों पर एक ही दिन प्रशिक्षण आरम्भ किया गया। सभी केन्द्रों पर एक ही पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्य सामग्री व प्रशिक्षणार्थियों हेतु समान दिनचर्या लागू की गई। इनके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को शस्त्र संधारण, लाठी चलाने, जूडो-कराटे आदि तथा उनके शारीरिक विकास के लिए योग, व्यायाम व खेलकूद का प्रशिक्षण भी दिया गया। यह ध्यान भी रखा गया कि शैक्षणिक के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व एवं वनों के समक्ष नवीन परिपेक्ष्य में आई चुनोतियों का सामना करने के लिए उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इन समस्त गतिविधियों का स्वयं मेरे स्तर पर निरन्तर सघन प्रबोधन किया गया।

प्रशिक्षण के इस प्रयास की प्रकृति जटिल थी क्योंकि प्रशिक्षण केन्द्र राज्यभर में फैले थे तथापि यह कार्य निर्विघ्न सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्य का प्रवितेदन ही आपके हाथों में है।

मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) डॉ. वी. एस. सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, आर. एन. मेहरोत्रा व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी. आर. ई. ई.) राजस्थान, राहुल कुमार का सदैव आभारी रहूँगा जिन्होंने हमें समय-समय पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रशिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में सभी कोर्स डायरेक्टर, असिस्टेन्ट कोर्स डायरेक्टर व प्रशिक्षकों ने सराहनीय कार्य किया। मुख्यालय स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग भी प्रशंसनीय रहा।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में वन संरक्षक ए. के. उपाध्याय, उप वन संरक्षक शिवचरण गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी ओ. पी. चौधरी, वनपाल राजेश कुमार शर्मा तथा कार्यालय सहायक जयशंकर आचार्य व अन्य स्टाफ ने पर्याप्त परिश्रम व प्रयास किए। एतदर्थ वे सभी साधुवाद के पात्र हैं।

प्रतिवेदन हेतु छायाचित्र उपलब्ध कराने में उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ के. आर. काला, उप वन संरक्षक, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, उमाराम चौधरी, उप वन संरक्षक उदयपुर (दक्षिण) शैलजा, अलवर के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजीव लोचन पाठक, इस कार्यालय के क्षेत्रीय ओ. पी. चौधरी व वनपाल राजेश शर्मा ने सराहनीय कार्य किया। उनके प्रयासों से ही इस प्रतिवेदन का कलेवर निखर पाया। मैं उनकी सराहना करता हूँ।

डॉ. राकेश कुमार शर्मा, वनपाल ने इस प्रतिवेदन को तैयार करने हेतु तथ्य एवं छायाचित्र संकलन, डिजायन करने, आलेख लिखने व मुद्रित करवाने का समस्त कार्य किया एतदर्थ मैं उनके प्रयासों की विशेष रूप से सराहना करता हूँ।

मैं समझता हूँ प्रतिवेदन प्रशिक्षण व्यवस्था को समग्र रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

(पी. के. मेरकप)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान आर. एन. मेहरोत्रा प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए साथ में हैं मुख्य वन संरक्षक पी. के. मेरकप एवं वन संरक्षक पी. के. उपाध्याय

ग्रामीणों की सुविधानुसार रात्रि के लगभग साढ़े नौ बजे प्रशिक्षणार्थी ग्राम रावत का तालाब, विजयपुर में ग्रामीणों से साझा वन प्रबन्ध पर चर्चा करते हुए

वन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2011

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के साथ समाज में राज्य की भूमिका में भी तीव्र गति में वृद्धि हुई है। इसी कारण एक सुदृढ़ एवं प्रशिक्षित कार्मिक व्यवस्था किसी भी संगठन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कोई संगठन तभी कार्य कर सकता है जब उसमें कार्यरत कार्मिकों में काम करने की क्षमता हो और वह काम करके आत्म संतोष का अनुभव करता है।

इसी कारण कार्मिकों की भर्ती के बाद उनके प्रशिक्षण का महत्त्व बढ़ जाता है। प्रशिक्षण मानवीय क्षमता को बढ़ाने तथा कार्मिक कुशलता में अभिवृद्धि का महत्त्वपूर्ण साधन है। प्रशिक्षण लोक सेवक को उसकी मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य लोक सेवक में अपेक्षित कार्य कौशल विकसित करना, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना, उसमें अपने कार्य के प्रति रुझान विकसित करना और उसमें एक व्यक्ति की अपेक्षा संगठनात्मक व्यक्तित्व विकसित करना है।

वन जैसे विभाग में तो प्रशिक्षण का महत्त्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वन कार्मिकों विशेषकर अधीनस्थ कार्मिकों को एकाकीपन (Isolation) में कार्य करना होता है। जहाँ उन्हें न केवल विभागीय गतिविधियों को ही क्रियान्वित करना होता साथ ही साथ वन अपराधों से जूझने, निर्णय करने व नेतृत्त्व करने जैसे कार्य भी करने होते हैं।

वन रक्षकों का प्रशिक्षण (वर्ष 2011)

वर्ष 1986 से वन विभाग में वन रक्षकों की सीधी भर्ती नहीं हो पाई थी। इस अवधि में वन प्रबन्ध की प्रकृति में भी अनेक नवाचार सम्मिलित हुए और इन नवीन कार्यों के सम्पादन हेतु शिक्षित-प्रशिक्षित वन रक्षकों का अभाव विभाग में अनुभव किया जा रहा था। परिणामतः गत वर्षों में गहन चिन्तन के बाद वन रक्षकों की भर्ती व्यवस्था में अनेक सुधार प्रस्तावित किए गए जिन्हें समेकित रूप से एकत्रित कर अधीनस्थ कर्मी नियमों में संशोधन किए गए। इन नवीन नियमों के अनुरूप राज्य में वर्ष 2010 में 1101 वन रक्षकों की सीधी भर्ती हेतु क्रमांक एफ 15 (27)08/कार्मिक स्ट्रेन्थ/प्रमुवस/11272 दिनांक 23.9.2010 को प्रमुख समाचार पत्रों में 1000 वन रक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया, जिससे संशोधित कर 1101 वन रक्षकों की भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन दिए गए और लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर वन रक्षकों का चयन किया गया।

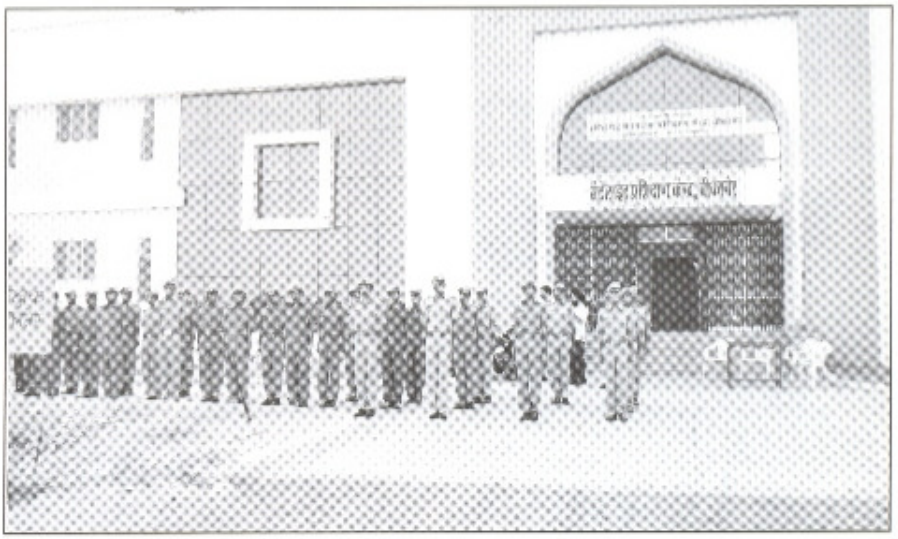

प्रदेश के माननीय वन राज्य मंत्री श्री रामलाल जाट ने इन नवनियुक्त वन रक्षकों को उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण दिए जाने के बाद ही कर्तव्य पर भेजने के निर्देश दिए जिसकी अनुपालना में राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा तीन स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों क्रमशः जयपुर, जोधपुर व अलवर के अतिरिक्त 12 सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्रों की अस्थाई व्यवस्था कर मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) को इन्हें प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा गया। राज्य में 12 सैटेलाइट केन्द्र इस प्रकार बनाए गए- सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सरिस्का, करौली, अजमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर तथा बांसवाड़ा। इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रधान मुख्य संरक्षक, राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ.5(1) प्रशिक्षण /वस/98-99/1494 दिनांक 13.7.1998 के अनुरूप आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

नव नियुक्त वन रक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने से पूर्व वा.प्र.सं., जयपुर में 2 मई को एक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (Training to Trainers-TOT) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया जो किसी न किसी रूप में प्रशिक्षण गतिविधियों से सम्बद्ध थे। ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण आयोजन की मूलभूत जानकारी व इसके सफल आयोजन के लिए सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) तथा वन संरक्षक (प्रशिक्षण) ने दिया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की विशेषताएं

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या- राज्य के सभी 15 प्रशिक्षण केन्द्रों (तीन स्थाई व 12 सैटेलाइट) में प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार प्रशिक्षणार्थियों ने उपस्थिति दी व प्रशिक्षण पूर्ण किया-

क्र.सं.	नाम केन्द्र	उपस्थिति देने वाले प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थी		
			पु.	म.	कुल
1.	अजमेर	50	50	-	50
2.	अलवर	28	-	28	28
3.	बांसवाड़ा	71	69	-	69
4.	भरतपुर	50	49	-	49
5.	बूंदी	52	51	-	51
6.	बीकानेर	73	68	-	68
7.	चित्तौड़गढ़	74	55	17	72
8.	जयपुर	57	-	56	56

क्र.सं.	नाम केन्द्र	उपस्थिति देने वाले प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थी		
			पु.	म.	कुल
9.	जोधपुर	60	-	59	59
10.	जैसलमेर	59	56	-	56
11.	करौली	56	54	54	
12.	कोटा	51	49	-	49
13.	सरिस्का	43	43	-	43
14.	सवाई माधोपुर	53	33	20	53
15.	उदयपुर	110	51	36	87
	योग	**887**	**628**	**216**	**844**

इस प्रकार नवनियुक्त वनरक्षकों में से उपर्युक्त केन्द्रों पर कुल 887 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए किन्तु विभिन्न कारणों यथा- नौकरी छोड़ जाने, अस्वस्थ होने, प्रसूति व 7 दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने के कारण 43 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण से वापस भेज (Send Back) दिया गया। शेष 844 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया जिन्हें प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

वन मण्डल वार प्रशिक्षणार्थी: उपर्युक्त 15 केन्द्रों पर प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी कुल वन मण्डलों से आए थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वन मण्डल	संख्या प्रशिक्षणार्थी
1.	कोटा	20
2.	पाली	9
3.	बारां	33
4.	बूंदी	41
5.	जयपुर (उत्तर)	11

क्र.सं.	वन मण्डल	संख्या प्रशिक्षणार्थी
6.	जयपुर (दक्षिण)	8
7.	भू-संरक्षण करौली	10
8.	वन्य जीव करौली	34
9.	सा.वा. अलवर	15
10.	सरिस्का	13

क्र.सं.	वन मण्डल	संख्या प्रशिक्षणार्थी
11.	मा. आबू	17
12.	वन्य जीव जोधपुर	5
13.	वन्य जीव जयपुर	4
14.	डी.डी.पी. जैसलमेर	10
15.	वि.खा.का. जैसलमेर	15
16.	ओ.ई.सी.एफ. मोहनगढ़	19
17.	मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर	18
18.	बाड़मेर	9
19.	हनुमानगढ़	12
20.	सरिस्का	29
21.	झालावाड़	17
22.	भीलवाड़ा	33
23.	टोंक	16
24.	अजमेर	19
25.	सवाई माधोपुर	53
26.	केवलादेव भरतपुर	2
27.	धौलपुर	7
28.	झुन्झुनू	7
29.	सीकर	9

क्र.सं.	वन मण्डल	संख्या प्रशिक्षणार्थी
30.	भरतपुर	4
31.	वन्य जीव कोटा	13
32.	चित्तौड़गढ़	39
33	वन्य जीव चित्तौड़गढ़	26
33.	जोधपुर	9
34.	बीकानेर	6
35.	छतरगढ़	9
36.	स्टेज-II मण्डल-I	17
37.	स्टेज-II मण्डल-II	11
38.	गंगानगर	14
39.	जालौर	19
40.	सिरोही	26
41.	बांसवाड़ा	19
42.	डूंगरपुर	13
43.	प्रतापगढ़	37
48.	उदयपुर (उत्तर)	8
49.	उदयपुर (दक्षिण)	20
50.	उदयपुर (मध्य)	20
51.	राजसमंद	6
52.	वन्य जीव, उदयपुर	33

कक्षा कक्ष में प्रशिक्षण

प्रशिक्षणार्थियों के मध्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) राहुल कुमार (चित्तौड़गढ़)

प्रशिक्षण प्रभारी: – इस प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिए एक कोर्स डायरेक्टर व एक असिस्टेन्ट कोर्स डायरेक्टर मनोनीत किए गए। इनकी सूची निम्नानुसार है। उक्त दोनों अधिकारी प्रशिक्षण के विधिवत् सम्पादन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय, भ्रमण एवं परीक्षा आयोजन तथा परिणाम घोषित करने के लिए उत्तरदायी रहे।

प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी

क्र.सं.	नाम केन्द्र	कोर्स निदेशक	सहायक कोर्स निदेशक
1.	जयपुर	शिवचरण गुप्ता उ.व.स.	ओ.पी. चौधरी क्षे.व.अ.
2.	अलवर	एम.एल. शर्मा उ.व.स.	निखिल उभयकर, क्षे.व.अ.
3.	जोधपुर	उमाराम चौधरी उ.व.स.	पद्म सिंह राठौड़ स.व.स.
4.	बांसवाड़ा	अर्जुन सिंह जुगतावत उ.व.स.	जिग्नेश शर्मा स.व.स.
5.	करौली	बी.पी. पारीक उ.व.स.	भगवान सिंह स.व.स.
6.	चित्तौड़गढ़	के.आर. काला उ.व.स.	बी.सी. लोढ़ा स.व.स.
7.	जैसलमेर	एम.एल. सोनल उ.व.स.	करण सिंह काजला स.व.स.
8.	सरिस्का	एस.पी. सिंह उ.व.स.	भगवान सिंह नाथावत स.व.स.
9.	उदयपुर	शैलजा देवल उ.व.स.	आर.के. जैन स.व.स.
10.	अजमेर	सुधीर जैन उ.व.स.	करण सिंह टाँक स.व.स.
11.	सवाई माधोपुर	वाई.के. साहू उ.व.स.	नरेश शर्मा स.व.स.
12.	बीकानेर	अरुण सक्सेना उ.व.स.	कौशल सक्सेना स.व.स.
13.	केवलादेव भरतपुर	अनूप के.आर. उ.व.स.	पी.एस. कटैला स.व.स.
14.	कोटा	एन. विजय उ.व.स.	नेकीराम जाट स.व.स.
15.	बूंदी	आर.एस. नाथावत उ.व.स.	हेमचन्द जाट स.व.स.

प्रशिक्षण अवधि:– इस प्रशिक्षण की अवधि विभाग के प्रशिक्षण आदेश के अनुरूप तीन माह रही। बीकानेर केन्द्र के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों पर यह प्रशिक्षण दिनांक 9 मई, 2011 से लेकर 8 अगस्त, 2011 तक चला। बीकानेर केन्द्र पर भवन की उपलब्धता में विलम्ब होने के कारण प्रशिक्षण दिनांक 16 मई, 2011 से आरम्भ हुआ तथा इसका समापन 15 अगस्त, 2011 को हुआ।

प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य पृष्ठभूमि

आयु वर्ग:– भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई थी किन्तु महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों एवं सरकारी स्थाईकर्मियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी तथापि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों की आयु इस प्रकार रही:–

प्रशिक्षणार्थियों का आयु वर्ग

क्र.सं.	आयु वर्ग (वर्ष)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	18 से 21	96	11.38
2.	21 से 25	394	46.68
3.	25 से 30	249	29.50
4.	30 से ऊपर	105	12.44
	योग	**844**	**100**

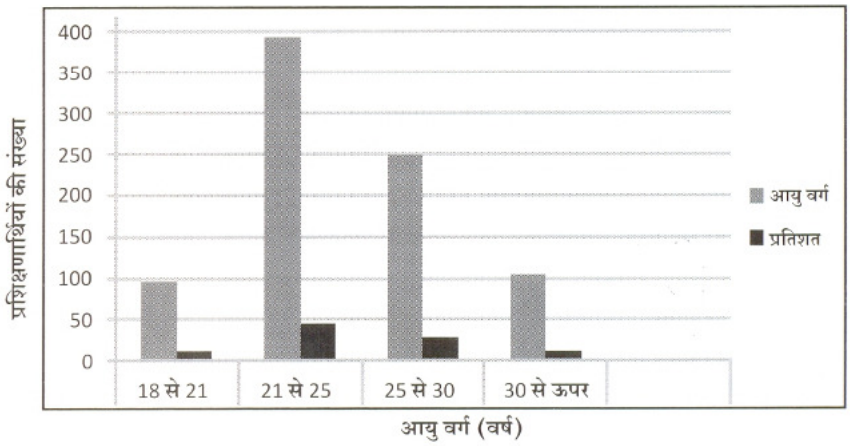

उपर्युक्त सारिणी व चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रशिक्षणार्थी 21 से 25 वर्ष (जन्म वर्ष 1986 से 1990 तक) के 394 अर्थात् कुल प्रशिक्षणार्थियों के 46.68 प्रतिशत रहे। 18 से 21 वर्ष तक की आयु के 11.38 प्रतिशत अर्थात् 96 प्रशिक्षणार्थी तथा 25 से 30 वर्ष आयु के प्रशिक्षणार्थी कुल के 249 अर्थात् 29.50 प्रतिशत रहे। 30 वर्ष से अधिक की आयु के 105 अर्थात् 12.44 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी थे। सभी प्रशिक्षणार्थियों में सर्वाधिक आयु के 51 वर्षीय श्री मानसिंह (जन्म 13.6.1960) तथा न्यूनतम 18 वर्ष आयु की सुमन कंवर (जन्म 28.12.1992) रही।

वृक्षारोपण क्षेत्र में गहन प्रशिक्षण

प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि

राज्य सरकार के नियमानुसार यद्यपि भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई थी किन्तु वन रक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी प्रत्याशी उत्तीर्ण होकर भर्ती हुए। प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्यता निम्न सारिणी व चार्ट में द्रष्टव्य है:-

प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं.	योग्यता	संख्या	प्रतिशत	विशेष विवरण
	स्कूल शिक्षा			
1.	दसवीं (सैकण्डरी)	83	9.83	
2.	सीनियर सैकण्डरी	218	25.83	
	कॉलेज शिक्षा			
3.	स्नातक	178	21.11	
4.	स्नातकोत्तर	40	4.74	
	व्यावसायिक योग्यता			
5.	एस.टी.सी.	39	4.62	
6.	बी.एड.	255	30.21	
7.	**अन्य**	31	3.67	
	योग	**844**	**100**	

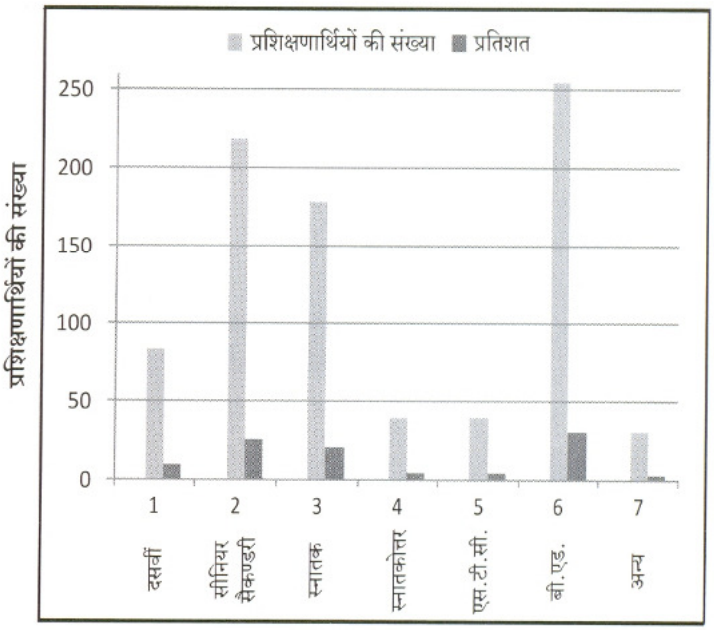

उपर्युक्त सारिणी व चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी मात्र 83 प्रशिक्षणार्थी रहे जो कुल प्रशिक्षणार्थियों का 9.83 प्रतिशत ही है। इनकी अपेक्षा सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी 218 अर्थात् 25.83 प्रतिशत रहे। कॉलेज एवं वि.वि. उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी 25.85 प्रतिशत अर्थात् 218 रहे व 294 प्रशिक्षणार्थी अर्थात् 34.83 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यताधारक रहे जो शिक्षा स्नातकोत्तर एम.एड. तक शिक्षित है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विवरण में ये रेखांकित करना अत्यन्त प्रासंगिक है कि अन्य योग्यताधारियों में एक पीएच.डी. दो एम.फिल. 6 प्रशिक्षणार्थी सी.पी.एड./बी.पी.एड., 4 विधि स्नातक (एलएल.बी.), एक क्रिप्टोलोजी, एक बी.जे.एम.सी., तीन विशिष्ट कम्प्यूटर शिक्षा धारक तथा तीन छात्र आई.टी.आई., अभियांत्रिकी डिप्लोमा व पॉलिटेक्निक तक शिक्षित है।

विभिन्न केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों का आपस में इंटरएक्शन

प्रशिक्षण व्यवस्थाएं

प्रशिक्षण केन्द्र एवं आवास सुविधा:- सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों हेतु कक्षा-कक्ष व आवास की व्यवस्थाएं की गई थीं। दो स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों अलवर एवं जयपुर में स्थाई छात्रावास व व्याख्यान कक्ष उपलब्ध है। सैटेलाइट केन्द्रों व जोधपुर में कहीं पर किराए के भवन अथवा उपलब्ध विभागीय भवनों का उपयोग किया गया जिनकी सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम केन्द्र	कक्षा-कक्ष	आवास	विशेष विवरण
1.	अजमेर	मण्डल कार्यालय	घूघरा नर्सरी	
1.	बांसवाड़ा	नगेन्द्र सिंह लॉ कॉलेज बांसवाड़ा	नगेन्द्र सिंह लॉ कॉलेज एवं माही नदी परिसर	किराये का भवन विभागीय कार्यालय
2.	भरतपुर	डॉ. सालीम अली इन्टरप्रटेशन सेन्टर	नर्सरी परिसर	
3.	बूंदी	पौधशाला बून्दी		
4.	बीकानेर	गंगा सिंह यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस		किराए का भवन
5.	चित्तौड़गढ़	वन चेतना केन्द्र	कामकाजी छात्रावास पुरुषों हेतु; एसीएफ निवास व गेस्ट हाउस महिला विभागीय	किराये का भवन
6.	जोधपुर	आफरी परिसर		किराये का भवन
7.	जैसलमेर	श्री जवाहर राजपूत छात्रावास		किराये का भवन
8.	करौली	जगदम्बा धर्मशाला कैलादेवी		किराये का भवन
9.	कोटा	नया गांव चैक पोस्ट		
10.	सरिस्का	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र परिसर सरिस्का		
11.	सवाई माधोपुर	डाईट परिसर		किराये का भवन
12.	उदयपुर	वन भवन	अरण्य कुटीर, विद्या भवन स्कूल	किराये का भावन

वन्य प्राणियों की आदतों एवं व्यवहार का अध्ययन, चिड़ियाघर, जयपुर

भोजनः– सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों ने स्वयं के स्तर पर मैस का संचालन किया। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की देखरेख में प्रशिक्षणार्थियों में से तीन सदस्यीय मैस समितियां बनाई गईं जिन्होंने मासिक आधार पर मैस का संचालन किया।

परिवहनः– इस प्रशिक्षण के दौरान कतिपय केन्द्रों पर जहां प्रशिक्षणार्थियों के आवास, कक्षा–कक्ष से कुछ दूरी पर रहे वहाँ कक्षा कक्ष तक पहुँचने के लिए प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी निजी साइकिलों का उपयोग किया। स्थानीय भ्रमण के लिए विभागीय वाहनों यथा उड़नदस्ते के कैण्टर का उपयोग किया गया तथा 10 दिवसीय भ्रमण के लिए निजी बसें किराये पर ली गईं।

वनस्पति की पहचान का प्रशिक्षण

दक्षता विकास

पाठ्यक्रमः– शिक्षा पूर्ण कर भर्ती हुए वन रक्षकों में वन प्रबन्ध तकनीक में उनकी दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से विभाग ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है। इस निर्धारित पाठ्यक्रम का सघन प्रशिक्षण तीन माह तक दिया जाकर उसे वन प्रबन्ध हेतु दक्ष किया जाता है जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्रमांक	विषय	प्रशिक्षण घटक			
		सैद्धांतिक अध्ययन कालांश (घंटे)	प्रायोगिक अध्ययन कालांश (घंटे)	क्षेत्र अभ्यास कैंप, स्थानीय शैक्षणिक भ्रमण (घंटे)	प्रशिक्षण भ्रमण दिवस
1.	वन सुरक्षा एवं कानून	20	14	16	–
2.	वन लेखा एवं राज. सेवा नियम	7	8	8	–
3.	क्षेत्र वनस्पति	1	2	16	–
4.	वन वर्धन तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन	18	18	34	4 दिवस
5.	साझा वन प्रबन्ध	13	9	12	4 दिवस
6.	वन्य जीव प्रबन्ध	10	2	12	2 दिवस
7.	वन उपयोग	12	–	8	–
8.	सर्वे, वन मिति एवं अभियांत्रिकी	15	11	22	–
	कुल योग	**96**	**64**	**128**	**10 दिवस**

प्रशिक्षण गतिविधियाँ : झलकियाँ

माननीय वन राज्य मंत्री श्री रामलाल जाट प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए

पौधारोपण करते प्रशिक्षणार्थी

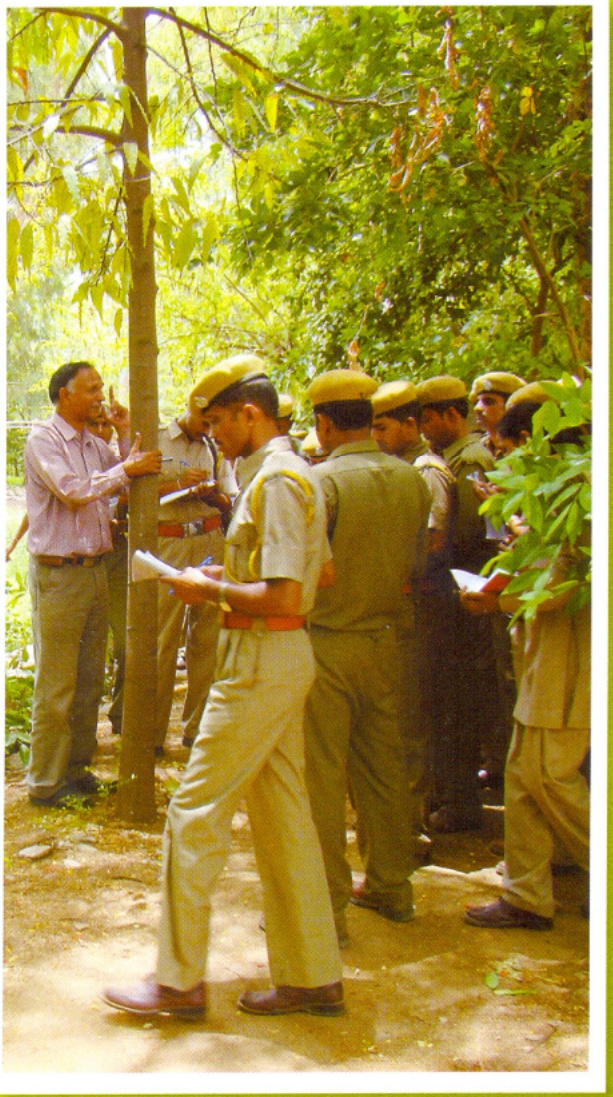

वनस्पति की जानकारी देते डॉ. सतीश कुमार शर्मा

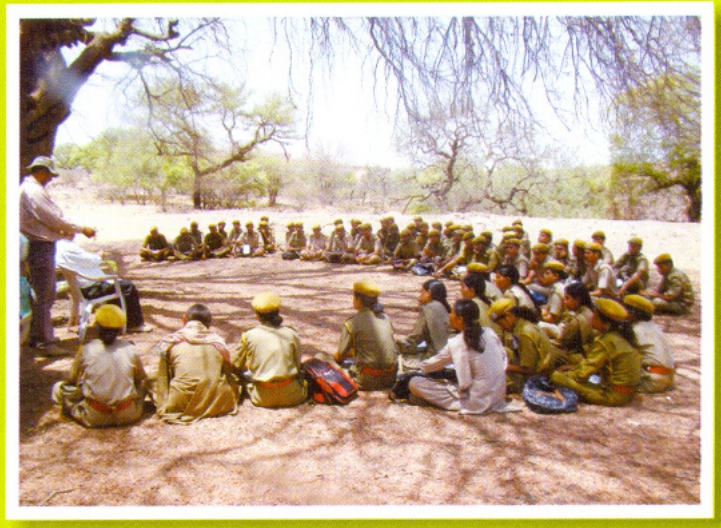

जंगल में व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति

प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए पी. के. मेरकप, मु.व.स.

आदिवासी महिलाओं से प्रशिक्षणार्थी वन रक्षकों का इंटरएक्शन

शस्त्र प्रशिक्षण

पौधशाला का प्रशिक्षण

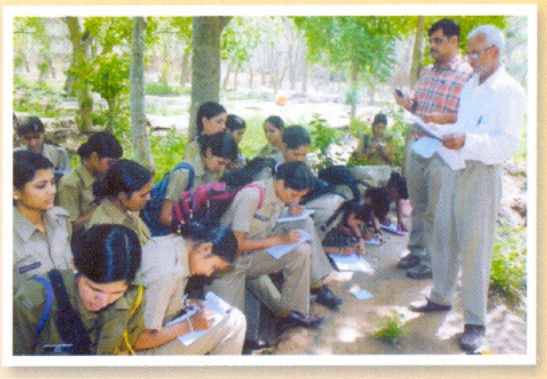

नर्सरी तकनीक का ज्ञान

वन क्षेत्र का भ्रमण

'रिंग-पिट' तकनीक से रोड साइड वृक्षारोपण का प्रशिक्षण

पौधशाला का प्रशिक्षण

बांस विदोहन तकनीक की जानकारी देते एस. के. सिंह

ट्रेंच-माउंड पर बिजाई कार्य का प्रशिक्षण

विश्व वानिकी वृक्षोद्यान का भ्रमण

म.गा. नरेगा अंतर्गत रोड साइड वृक्षारोपण का प्रशिक्षण

समय का सदुपयोग : जब तक भोजन तैयार हो तब तक कुछ सीख लें

आय अर्जन गतिविधि : अगरबत्ती स्टिक के निर्माण का प्रशिक्षण

वन क्षेत्र में वाटर होल की उपयोगिता एवं निर्माण का प्रशिक्षण

महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा उद्‌बोधन

माननीय श्री रामलाल जाट
वन, पर्यावरण एवं खनिज राज्य मंत्री

डॉ. वी. एस. सिंह
अतिरिक्त मुख्य सचिव

आर. एन. मेहरोत्रा
प्र.मु.व.स. राजस्थान

यू. एम. सहाय
प्र.मु.व.स. एवं मु.व.जी.प्र.

प्रवीण गुप्ता
आई.ए.एस.

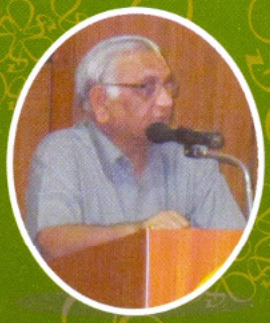

डी. पी. गोविल
आई.एफ.एस. (सेनि.)

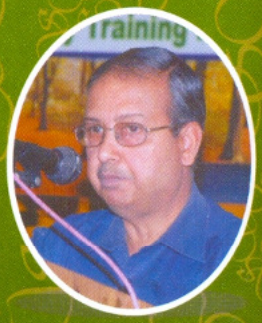

अभिजीत घोष
आई.एफ.एस. (सेनि.)

प्र.मु.व.स. (डी.आर.ई.ई.) राहुल कुमार का उद्‌बोधन, जयपुर

माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रशिक्षणार्थियों की रैली, जयपुर

पर्यावरण जागरूकता साइकिल रैली, चित्तौड़गढ़

अलवर के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली

जैव विविधता दिवस पर साइकिल रैली, चित्तौड़गढ़

व्यायाम, सवाई माधोपुर

व्यायाम, जयपुर

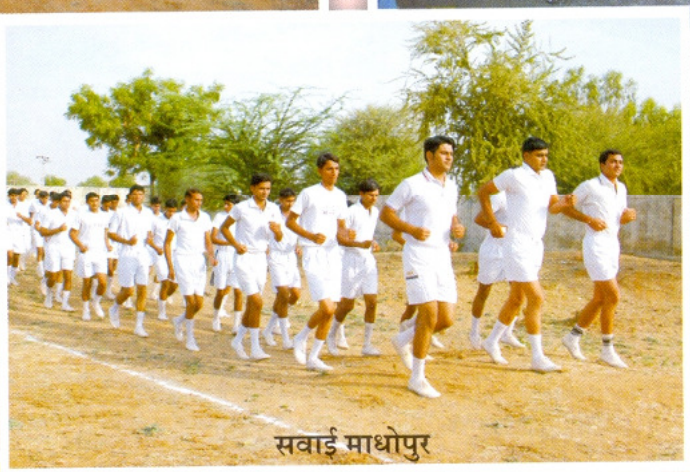

सवाई माधोपुर

लाठी चलाने का प्रशिक्षण, चित्तौड़गढ़

जूडो एवं कराटे प्रशिक्षण, चित्तौड़गढ़

प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए पी. के. उपाध्याय, व.स.
(जोधपुर)

प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए शिवचरण गुप्ता, उ.व.स.
(जयपुर)

विभिन्न केन्द्रों की सांस्कृतिक गतिविधियाँ

जयपुर

अलवर

उदयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
यू.एम. सहाय द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधन (जोधपुर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान आर. एन. मेहरोत्रा
द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधन (जोधपुर)

उपर्युक्त विषयों पर सभी केन्द्रों पर सम्बन्धित विषय-विशेषज्ञों के व्याख्यान करवाए गए। इस सत्र में नवीन पहल करते हुए कतिपय बाहरी विषय विशेषज्ञों को विशेष रूप से आमंत्रित कर प्रशिक्षणार्थियों को उनसे रूबरू करवाया गया ताकि प्रशिक्षणार्थी न केवल उनके अनुभवों का लाभ उठा सके, साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का शमन भी व्यवहारिक रूप से हो सके। इनमें मुख्य अतिथि व्याख्याता रहे- वन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सचिव, पंचायती राज, सचिव, महात्मा गाँधी नरेगा, राज्य के सभी सेवानिवृत्त व कार्यरत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अवकाश प्राप्त भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा के अधिकारी, रेन्जर्स, म.गा. नरेगा से जुड़े अधिकारी, अभियन्ताओं, ख्यातनाम पर्यावरणविदों, ग्रामीणों, विश्वविद्यालयी व्याख्याताओं, उद्यान विज्ञों, पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों आदि। प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण से उन्हें सर्वाधिक रोमांच का अनुभव वन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के व्याख्यान के समय हुआ। इन सम्माननीय अतिथिगणों के साथ प्रशिक्षणार्थियों को चाय पीने के अवसर के दौरान अनौपचारिक वार्ता करने का जो अवसर प्राप्त हुआ प्रशिक्षणार्थियों ने उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया।

स्थानीय क्षेत्र भ्रमण:- सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस सत्र में कुल 128 घण्टे का क्षेत्र अभ्यास भी करवाया गया इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को अपने-अपने संस्थानों के समीप के वन क्षेत्रों, वृक्षारोपण व गांवों में ले जाया जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय वनस्पति की पहचान, वन अपराध प्रकरण तैयार करने, पौधशाला का अध्ययन, वनमिति का अभ्यास, ग्रामीणों से चर्चा, वन्य जीवों का अवलोकन व अध्ययन, उनकी रुचि, आदतों व व्यवहार को समीप से देखना आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। स्वयं प्रशिक्षणार्थियों ने अपने हाथों से गतिविधियां सम्पादित कर वानिकी प्रबन्धन का प्रत्यक्ष अनुभव लिया।

वन क्षेत्रों का भ्रमण

सभी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों ने परिसर को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाए रखने का कार्य भी किया। परिसर स्थित पौधों व वृक्षों की देखभाल, खेल के मैदानों का संधारण व अन्य अनुषंगी कार्य प्रशिक्षणार्थियों ने स्वयं किए। साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना के ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से हो रहे क्रियान्वयन के व्यवहारिक ज्ञान के लिए उन्हें अनेक समितियों से मिलवाया गया व मौके पर उनकी गतिविधियों का विहंगावलोकन करवाया गया।

भ्रमण:- प्रशिक्षणार्थी वन रक्षकों के लिए 10 दिवस का शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा गया। प्रत्येक संस्थान से बस द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य निकटवर्ती जिलों में ले जाया जाकर भ्रमण करवाया गया। प्रत्येक संस्थान के लिए भ्रमण के कार्यक्रम इस तरह आरेखित किए गए कि प्रशिक्षणार्थियों को सभी वानिकी गतिविधियों का दिग्दर्शन हो सके अतः भ्रमण कार्यक्रम में कम से कम एक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, परम्परागत पौधशालाएं, हाईटेक नर्सरी,

पुनर्वास केन्द्र, वृक्षारोपण, आरक्षित व रक्षित वन, चिड़ियाघर आदि सम्मिलित किए गए। वन विकास कार्यों का अवलोकन कराते समय यह ध्यान रखा गया कि राज्य से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की जैव विविधता व उनमें क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी प्रकार अभियांत्रिकी, भू एवं जल संरक्षण आदि के कार्यों को भी भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया ताकि प्रशिक्षणार्थी सभी कार्यक्रमों व योजनाओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। भ्रमण के दौरान स्थानीय अधिकारियों के व्याख्यान भी कराने की व्यवस्था की गई।

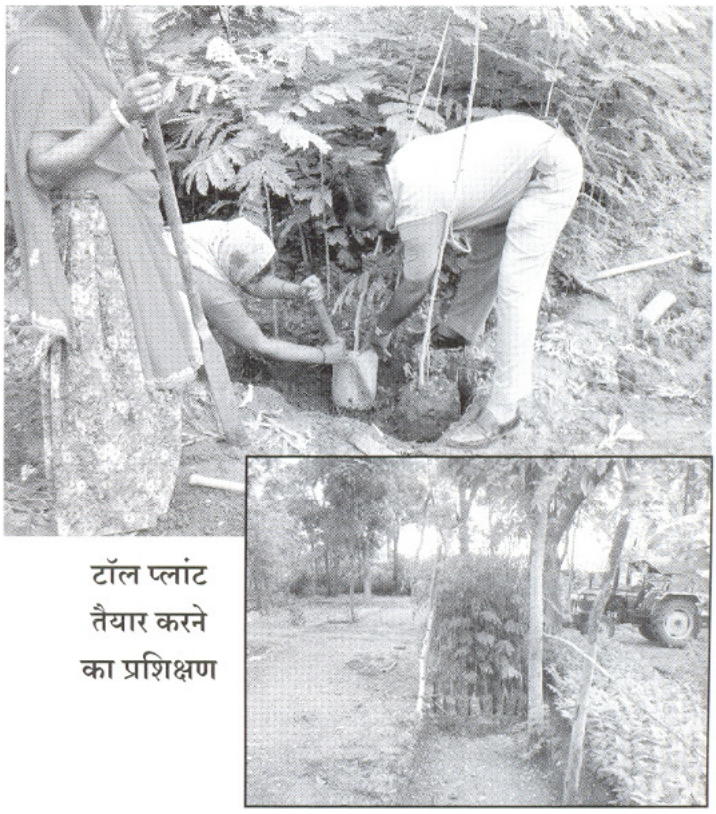

टॉल प्लांट तैयार करने का प्रशिक्षण

विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों से करवाई गई प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार रहीं :-

- बूंदी के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा मोरों की मृत्यु पर फ्लैग मार्च
- नैनवा-तलवास में दो वन्य जीवों की शादी रुकवाने का सफल प्रयास
- ग्राम विस्थापन कार्य का ज्ञान;
- अभयारण्य क्षेत्रों में गश्त;
- वन्य जीव गणना;
- अतिक्रमण/चराई सम्भाव्य क्षेत्रों में गश्त;
- मुख्य दिवसों पर साइकिल व पदयात्रा निकालना;
- पर्वतारोहण व कुओं में उतरने का अभ्यास;
- जड़ी-बूटी/औषधीय पौधों की पहचान
- प्रशिक्षण की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गतिविधि विभिन्न केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को आपस में मिलवाना व एक दूसरे से अनुभवों का बांटना रहा।
- प्रशिक्षणार्थियों को उदयपुर सम्भाग में टॉल प्लान्ट्स तैयार करने की नवीन तकनीक दिखाई व समझाई गई।
- जयपुर में प्रशिक्षणार्थियों के मध्य क्विज कम्पीटीशन करवाया गया।
- सवाई माधोपुर केन्द्र पर वन अपराधी पकड़ने व प्रपत्र आदि तैयार करने के लिए मॉक-ड्रिल करवाई गई।
- वनस्पतियों के नमूनों की पहचान का कार्य अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित किया गया।

शस्त्र संधारण एवं प्रयोग

विभाग के कार्मिकों को विधि प्रवर्तन अथवा भीड़ नियंत्रण हेतु शस्त्रों की आवश्यकता होती है। इन्हें शस्त्र राज्य सरकार के नियमानुसार आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों को शस्त्र संधारण व प्रयोग का व्यवहारिक प्रशक्षिण दिया गया। ये प्रशिक्षण जयपुर केन्द्र पर एन.सी.सी. के तथा अन्य केन्द्रों पर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया। शस्त्र प्रशिक्षण में .22 राईफल व 7.62 एस.एल.आर. का प्रशिक्षण दिया गया।

प्राथमिक चिकित्सा:- प्रशिक्षणार्थियों को भविष्य में वन क्षेत्रों में कार्य करना होगा जहाँ उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः प्रशिक्षणार्थियों को चिकित्सकों के व्याख्यान करवाए जाकर प्राथमिक चिकित्सा की प्रायोगिक शिक्षा भी दिलवाई गई।

शारीरिक विकास

सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के शारीरिक विकास पर पूर्ण ध्यान दिया गया क्योंकि चुस्त दुरुस्त मानव संसाधन किसी भी संगठन की निधी होती है। शारीरिक रूप से उन्हें चुस्त बनाए रखने के लिए निम्नांकित गतिविधियाँ की गईं :

बीकानेर

पी.टी. परेड:– सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में दैनिक गतिविधियों में प्रातः 6 से 7.30 का समय पी.टी. परेड, शारीरिक व्यायाम हेतु निर्धारित किया। विभाग में नियमित प्रशिक्षक न होने के कारण पृथक्–पृथक् केन्द्रों पर पृथक्–पृथक् किन्तु विशेषज्ञ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। कतिपय केन्द्र पर विभाग में कार्यरत पूर्व सैनिकों द्वारा इस दायित्व का निर्वाह किया गया। कहीं पर पुलिस विभाग की सेवाएँ ली गईं तथा कहीं पर स्वयं प्रशिक्षणार्थियों में बी.पी.एड. अथवा सी.पी.एड. डिग्रीधारी व्यक्तियों ने यह कार्य किया। उक्त अवधि में पर्यवेक्षण के लिए विभागीय अधिकारी सदैव मौजूद रहे। सत्रान्त में मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया।

आत्मरक्षा:– कतिपय केन्द्रों पर, जहां सुविधा उपलब्ध हो पाई, प्रशिक्षणार्थियों को जूडो–कराटे तथा आत्मरक्षा की अन्य विधियों जैसे लाठी चलाना आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया।

मानसिक विकास:– प्रशिक्षणार्थियों के मानसिक विकास पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक व दक्षता विकास। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न गतिविधियां की गईं:

- योग प्रशिक्षण
- आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण
- ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा तनाव प्रबन्धन पर प्रशिक्षण
- अभिप्रेरण पर विशिष्ट व्याख्यान
- सूर्य नमस्कार
- प्रतिदिन दौड़ का अभ्यास
- व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण

खेलकूद:– सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर सायंकाल एक घण्टा खेलकूद के लिए निर्धारित किया गया। इस अवधि में सभी केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधानुसार निम्न खेलों की सुविधा उपलब्ध कराई गईं:

खो–खो, कबड्डी, वॉलीबाल, क्रिकेट, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, कैरम, हैण्डबाल, एयरो जम्प, शतरंज, रिंग, रस्सी कूदना।

सत्र समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों के 'हाउस' के मध्य खेल मुकाबले आयोजित किए गए व विजयी टीम और व्यक्तिगत स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

मनोरजंन एवं अन्य गतिविधियां :– टी.वी., स्थानीय अखबार की उपलब्धता, समूह अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, नाटक इत्यादि ।

नेतृत्व एवं प्रबन्ध क्षमता का विकास: – प्रशिक्षणार्थियों में नेतृत्व एवं प्रबन्ध क्षमता के विकास के लिए अनेक गतिविधियां की गईं:–

1. प्रशिक्षणार्थियों में से प्रत्येक को दैनिक आधार पर आर्डरली ऑफिसर बनाया गया । उनका प्रमुख कार्य प्रशिक्षणार्थियों में अनुशासन बनाए रखना तथा 'हाउसेज' के मध्य समन्वय बनाए रखना है । प्रशिक्षणार्थियों की रौल कॉल व सबकी उपस्थिति सुनिश्चित करना भी इन्हीं का कार्य है । इस गतिविधि से प्रशिक्षणार्थियों में उत्तरदायित्व बोध जागृत होता है ।

2. प्रबन्ध क्षमता के विकास के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थियों से सम्बन्धित कार्यों के लिए अनेक समितियां गठित की जाती हैं जो मासिक आधार पर कार्य करती हैं इनका विवरण इस प्रकार है:–

   (अ) मैस समिति

   (ब) क्रीड़ा समिति

   (स) आवास समिति

   (द) सांस्कृतिक समिति

   (य) प्रशिक्षण एवं भ्रमण समिति

   (र) अनुशासन एवं सुरक्षा समिति

उपरोक्त सभी समितियां तीन सदस्यीय बनाई गईं जिनमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव का मनोनयन/निर्वाचन किया गया । उपर्युक्त सभी समितियों पर सामान्य पर्यवेक्षण विभागीय अधिकारियों ने किया ।

हाउस का गठन:– प्रशिक्षणार्थियों को सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराने तथा प्रतिस्पर्धा विकसित करने के उद्देश्य से 7 से 11 प्रशिक्षणार्थियों को मिलाकर एक हाउस बनाया गया। अलग-अलग प्रशिक्षण केन्द्रों पर इन ''हाउसेज'' को स्थानीय संस्कृति व वन एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित नाम दिए गए। उदाहरणार्थ, चित्तौड़गढ़ सैटेलाइट केन्द्र पर ये नाम रहे- सांगा, उदय, प्रताप, कुम्भा, जयमल फत्ता, गौरा बादल और मीरा पद्मिनी। अजमेर में बया, मौर, मैना, तोता, बाज, कोयल, बुलबुल, अलवर में बुलबुल, किंगफिशर आदि तथा जयपुर केन्द्र पर ब्ल्यू, यलो, ग्रीन हाउस आदि ।

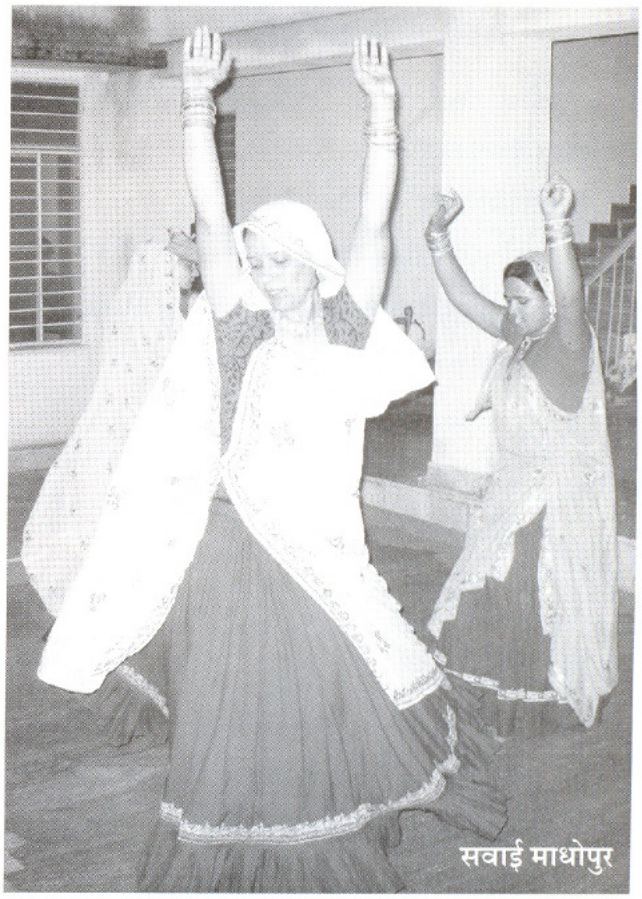
सवाई माधोपुर

सांस्कृतिक कार्यक्रम:– प्रशिक्षणार्थियों के मानसिक विकास के उद्देश्यों से सभी स्थाई व सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों में छिपी सांस्कृतिक प्रतिभा को सत्र पर्यन्त प्रोत्साहित किया गया और सत्र के अन्त में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ कलाकार को पुरस्कृत किया गया ।

अंतिम परीक्षा:– सत्र के अन्त में सभी विषयों की मौखिक परीक्षाएँ ली गईं । इस हेतु परीक्षकों की केन्द्रवार नियुक्ति की जाकर मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) से अनुमोदित करवाई गई। कक्षा परीक्षाओं और अन्तिम परीक्षा को मिलाकर कुल पूर्णांक 800 रहे । विभाग के नियमानुसार 75 प्रतिशत अर्थात् 600 व उससे अधिक अंक प्राप्तकर्ता को विशिष्ट श्रेणी, 50 से 75 प्रतिशत अर्थात् 400 से 599 तक अंक प्राप्त करने वालों को उच्च श्रेणी तथा 40 से 50 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निम्न/पास श्रेणी प्रदान की गई ।

परीक्षा परिणाम एवं पुरस्कार वितरण

वन रक्षक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की उपस्थिति में दीक्षान्त समारोहों का आयोजन सभी केन्द्रों पर किया गया। इस अवसर पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई तथा विभिन्न विषयों एवं अन्य गतिविधियों में विशेष योग्यता प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरित किए गए जिनका समेकित विवरण इस प्रकार है। केन्द्रवार परीक्षा परिणाम का संकलन व पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कुल प्रशिक्षणार्थी	उत्तीर्ण		
		विशिष्ट श्रेणी 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्तकर्ताओं की सं.	उच्च श्रेणी 50 से 75 प्रतिशत तक अंक प्राप्तकर्ताओं की सं.	निम्न श्रेणी 40 से 50 प्रतिशत तक अंक प्राप्तकर्ताओं की सं.
1.	844	169	675	कोई नहीं
प्रतिशत	100	20	80	कोई नहीं

निम्न विषयों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक केन्द्र पर पृथक्-पृथक् पुरस्कृत किया गया -

शैक्षणिक

1. योग्यता क्रम में प्रथम स्थान
2. सत्र का सर्वोत्तम वन रक्षक
3. वन सुरक्षा एवं कानून में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
4. वन लेखा एवं राज. सेवा नियम में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
5. क्षेत्र वनस्पति विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
6. वनवर्धन प्रबोधन एवं मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
7. साझा वन प्रबन्ध में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
8. वन्य जीव प्रबन्ध में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
9. वन उपयोग में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता
10. वन सर्वेक्षण, वनमिति एवं वन अभियांत्रिकी में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता

दीक्षान्त समारोह, जयपुर

खेलकूद एवं अन्य विशेष गतिविधियाँ

1. सत्र का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।
2. जूडो-कराटे में सर्वश्रेष्ठ वन रक्षक
3. मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला वन रक्षक
4. योगासन में सर्वश्रेष्ठ वनरक्षक
5. 100 मी., 200 मीटर, 400 मीटर में प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला वन रक्षक
6. गोला फेंक जेवेलियन थ्रो प्रथम/द्वितीय स्थान
7. वॉलीबाल प्रतियोगिता में प्रथम

उपर्युक्तानुसार सभी 15 केन्द्रों पर प्रत्येक प्रकार के 18-18 पुरस्कार प्रदान किए गए।

पासिंग आउट परेड, सवाईमाधोपुर

वित्तीय व्यवस्था

एक साथ इतने वनकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए अत्यधिक वित्त की आवश्यकता होती है किन्तु विभाग ने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर प्रशिक्षकों की व्यवस्था विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से की तथा ये प्रयास किया कि कम से कम व्यय में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्पन्न किया जाए। अतः इस हेतु प्रत्येक केन्द्र को मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए एवं प्रत्येक केन्द्र हेतु मात्र ₹ 2.60 लाख आवंटित किए गए। इस प्रकार 15 केन्द्रों पर कुल ₹ 39.00 लाख में उक्त कार्य सम्पादित किया गया।

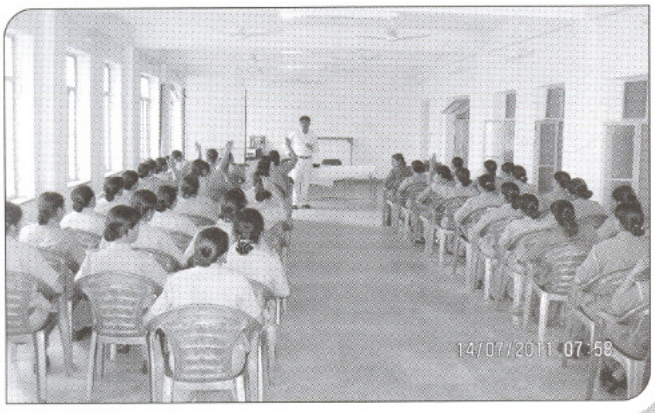

कक्षा–कक्ष में अध्ययन, सवाई माधोपुर

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संग्रहालय का अवलोकन

परम्परागत नर्सरी का भ्रमण

वन क्षेत्रों का भ्रमण

फील्ड में क्लास

पुराने वृक्षारोपण क्षेत्रों में प्रशिक्षणार्थी

प्रभाव मूल्यांकन / Impact Assessment

नव नियुक्त वन रक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विभाग द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही विशिष्ट पाठ्यक्रम व इतर पाठ्यक्रम गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं। विभाग के अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी ही अध्यापन कार्य करते हैं तथापि जैसा कि बताया जा चुका है आवश्यकतानुसार बाहरी प्रशिक्षकों को भी आमंत्रित किया जाता है।

सत्रान्त में प्रशिक्षणार्थियों को एक पृष्ठ पोषण प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार सभी प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण को उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा माना। विभागीय व इत्तर विभागीय प्रशिक्षकों के अध्यापन को भी श्रेष्ठ समझा गया। विभागीय दृष्टिकोण से प्रशिक्षण का परिणाम सकारात्मक रहा।

इस प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण से भी किया गया।

इस हेतु 108 प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त पृष्ठ पोषण प्रपत्रों का पृथक से विश्लेषण किया गया। इस हेतु 56 प्रशिक्षणार्थी स्थाई केन्द्र से तथा 52 प्रशिक्षणार्थी सैटेलाइट सेन्टर से चुने गए। इस विश्लेषण के परिणाम इस प्रकार रहे:-

प्रश्न:- प्रशिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी भाग कौनसा लगा?

इस प्रश्न के उत्तर में प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त उत्तर इस प्रकार है:-

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भ्रमण का कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ उपयोगी रहा। अधिकतर प्रशिक्षणार्थियों ने फील्ड में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति को उपयोगी माना।
- कतिपय प्रशिक्षणार्थियों ने ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों से हुए ''इन्टरएक्शन'' तथा उनके द्वारा कराए गए कार्यों के अवलोकन को उपयोगी पाया।
- प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण कार्य की संरचना, संगठन व वातावरण को भी उपयोगी माना।
- कुछ प्रशिक्षणार्थियों को, प्रशिक्षण के दौरान हुए स्थानीय वनस्पति के ज्ञान को सर्वाधिक अच्छा माना।
- कतिपय प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षक के साथ विचार विमर्श व अध्ययन की सुविधा को सर्वाधिक उपयोगी माना।

प्रश्न:- प्रशिक्षण से क्या सीखा?

प्रशिक्षणार्थियों से खुले प्रश्न के रूप से इस प्रश्न का उत्तर चाहा गया था। प्रशिक्षणार्थियों ने निम्न बातें सीखना स्वीकार किया-

- अनुशासन
- समय का महत्त्व/सदुपयोग
- नियमित दिनचर्या में सुधार
- जल्दी उठकर दौड़ लगाना व व्यायाम करना
- स्वतन्त्र विचार विमर्श की क्षमता में वृद्धि हुई
- गरिमा बनाए रखना सीखा

प्रश्न:- प्रशिक्षण के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधि, यदि कोई हो?

इस प्रश्न के उत्तर में प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षित था कि वे ऐसी सूचनाएं दें जिन कार्यों को करने पर उन्हें सन्तोष का अनुभव हुआ है। प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं:-

- राजू बन्दर व चिंकी बन्दरिया की शादी रुकवाना।
- अतिक्रमण प्रभावी क्षेत्रों की गश्त व अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण

- मोरों की मृत्यु पर फ्लैग मार्च
- महत्त्वपूर्ण वन एवं पर्यावरणीय दिवसों पर पदयात्रा का अनुभव

प्रश्नः – प्रशिक्षण के दौरान उन्हें क्या अभाव प्रतीत हुए?

इस प्रश्न के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाना था कि गत वर्षों में जो परिवर्तन वन प्रबन्ध में हुए हैं तथा नई पीढ़ी जो अत्यधिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाली है, क्या अनुभव कर रही है तथा उनके दृष्टिकोण से प्रशिक्षण में क्या नवीन जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रश्न के जवाब में बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं:-

- कम्प्यूटर की कक्षाएं लगाई जाएं।
- कार्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को स्वयं भरना सिखाया जाए।
- महिला प्रशिक्षक की भी व्यवस्था हो।
- महिलाओं के लिए हॉस्टल वार्डन महिला ही नियुक्त की जाए।
- रविवार का पूर्ण अवकाश दिया जाए।
- राज्य स्तरीय समारोह की परेड में भेजा जाए (गणतन्त्र व स्वतंत्रता दिवस)।
- प्रशिक्षण में वाहन चालन और तैराकी भी जोड़े जाएं।
- हरबेरियम फाइल बनवाई जाए।
- आत्मरक्षा उपाय सिखाने वाली कक्षाएं बढ़ाई जाए।
- हॉस्टल में प्रशिक्षणार्थियों से मिलने आने वाले परिजनों से वार्ता करने के लिए पृथक् व्यवस्था हो।
- चिकित्सक की सुविधाएं परिसर में ही उपलब्ध कराई जाए।

आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

अस्थाई सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए:-

- प्रशिक्षण में कम्प्यूटर को जोड़ा जाए।
- अध्ययन को प्रभावी व आकर्षक बनाने के लिए प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्थाएं की जाएं।
- तकनीक में सुधार हो अर्थात् फील्ड वर्क बढ़ाया जाए।
- प्रशिक्षणार्थियों को पृथक् चारपाई व कमरों में कूलर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण में ये भी जोड़ा जाना चाहिए कि आम जनता से किस तरह व्यवहार किया जाए कि लोगों में विभाग की छवि अच्छी बने।
- प्रशिक्षणार्थियों को पृथक्-पृथक् टेबल कुर्सी (छात्रावास में) उपलब्ध कराई जाए।
- पाक शाला की गुणवत्ता व व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है।
- सभी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं ताकि वन विषयक कानूनों का अनुभव प्राप्त किया जा सके।

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वृक्षारोपण

उपसंहारः – उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में प्रथम बार 15 केन्द्रों पर वन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु 3 स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त 12 सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए। प्रशिक्षण हेतु कुल 887 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए जिनमें से 43 को विभिन्न कारणों से वापस भेजा

गया अथवा अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया। कुल 844 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया जिन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इन प्रशिक्षणार्थियों में सर्वाधिक अर्थात् 46.68 प्रतिशत 21 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु के थे किन्तु 12.44 प्रशिक्षणार्थी ऐसे भी रहे जो 30 वर्ष से अधिक की आयु के थे।

जहाँ तक प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, यह रेखांकित करना आवश्यक है कि सर्वाधिक 255 प्रशिक्षणार्थी शिक्षा स्नातक (B.Ed.) तथा 39 बी.एस.टी.सी. उत्तीर्ण थे अर्थात् कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 34.83 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी शिक्षा का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त रहे। न्यूनतम योग्यताधारी तो मात्र 9.83 प्रतिशत ही रहे जबकि अन्य योग्यताधारी प्रशिक्षणार्थियों में पीएच.डी., एम.फिल., एलएल.बी., कम्प्यूटर शिक्षा व अभियांत्रिकी पृष्ठभूमि से पाए गए।

इन प्रशिक्षणार्थियों को तीन माह की अवधि में 96 कालांश सैद्धान्तिक अध्ययन, 64 कालांश प्रायोगिक अध्ययन, 128 घण्टे क्षेत्र अभ्यास तथा 10 दिवस का प्रशिक्षण भ्रमण करवाया गया। प्रशिक्षणार्थियों को वन मंत्री, आई.ए.एस., आई.पी.एस. व आई.एफ.एस. के कार्यरत व अवकाश प्राप्त अधिकारियों व अन्य विषय विशेषज्ञों से भी साक्षात्कार कराया गया। इस प्रशिक्षण में कतिपय नवाचारों का प्रयोग भी किया गया। उदाहरणार्थ सवाई माधोपुर में वन अपराध नियंत्रण के लिए सहायक कोर्स निदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों से मॉक-ड्रिल करवाई। पर्वतारोहण, कुओं में उतरना, प्रशिक्षणार्थियों का आपस में ''इन्टरएक्शन'', फ्लैग मार्च, जड़ी-बूटी प्रशिक्षण, क्विज कम्पीटीशन, प्राथमिक चिकित्सा आदि ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ हैं जिन्हें भविष्य में प्रशिक्षण का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया जाएगा। इसी प्रकार प्रशिक्षणार्थियों के मानसिक विकास के लिए योग, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मकुमारी वि.वि. द्वारा स्वस्थ व चुस्त रहने के उपाय भी सिखाए गए।

प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर सभी सैटेलाइट केन्द्रों पर दीक्षान्त समारोह आयोजित कर कुल 844 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इनमें से 20 प्रतिशत ने विशिष्ट व 80 प्रतिशत ने उच्च श्रेणी में प्रशिक्षण पूर्ण किया। उल्लेखनीय है कि निम्न श्रेणी में कोई भी प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ।

निष्कर्षतः भर्ती हुए वनरक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण देने का ये अनूठा व अभिनव प्रयोग पूर्णतया सफल रहा व विभाग को मात्र तीन माह में कुशल प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त हुए। यदि इन्हीं वनरक्षकों को परम्परागत पद्धति से स्थाई केन्द्रों पर प्रशिक्षित किया जाता तो सम्भवतः 5 वर्ष का समय लग जाता। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी केन्द्रों पर एक समान व एक ही पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को हथियार चलाने, जूडो-कराटे, लाठी चलाने के प्रशिक्षण के साथ-साथ ही व्यायाम, योग व खेलकूद गतिविधियां भी की गईं। प्रशिक्षण एक ही दिन शुरू कर एक ही दिन समाप्त किया गया। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण में अनेक नवीन विषय जोड़ने के जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें भी शीघ्र अमल में लाया जाएगा।

पॉलिथीन के प्रयोग से होने वाले खतरों की जानकारी

सवाई माधोपुर में मॉक–ड्रिल

1. सहायक वन संरक्षक के नेतृत्व में गश्त
2. पकड़ा मुल्जिम
3. जंगल में ही केस बनाने का प्रशिक्षण

दीक्षान्त समारोह की झलकियाँ

दीक्षान्त परेड़, चित्तौड़गढ़

जयपुर

उदयपुर

चित्तौड़गढ़

सवाईमाधोपुर

राज्य के स्थाई एवं सैटेलाइट वन प्रशिक्षण केन्द्र

वन विभाग, राजस्थान के लिए मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित। निर्देशन : पी. के. मेरकप,
तथ्य संकलन एवं आलेख : डॉ. राकेश कुमार शर्मा, मुख पृष्ठ छाया : अर्द्ध सदाबहार वन, माउण्ट आबू में जयपुर एवं जोधपुर की संयुक्त क्लास।
मुद्रक : पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर, अक्टूबर, 2011/ 250 प्रतियां